



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2017/आश्विन 20, 1939

No. 836]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2017/ASVINA 20, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1246(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 के साथ पठित कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 490(अ), तारीख 13 जुलाई, 2007 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (2) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“2 श्री आशीष कुशवाहा,

निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001.

सदस्य”

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3(4)/प्रकीर्ण/2015-पीआई]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

